दिनांक : .१२.२०१९

प्रति,

मा. केंद्रीय गृहमंत्री,

भारत सरकार, नई देहली.

विषय : नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में आंदोलन कर देश की अखंडता और शांति भंग करनेवाले समाजकंटकों पर कार्यवाही के संदर्भ में ....

महोदय,

कुछ ही समय पूर्व केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान सहित अन्य देशों से भारत में आए हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्मीय शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करनेवाले 'नागरिकता संशोधन विधेयक' सम्मत किया । सरकार ने लोकतंत्र और राज्यसंविधान में अंतर्भूत अधिकार में अत्यंत प्रशंसनीय निर्णय लिया है । इसके लिए सर्वप्रथम हिन्दू जनजागृति समिति मोदी सरकार के इस निर्णय का समर्थन में सरकार का अभिनंदन करती है । सरकार के इस निर्णय से विदेश के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हुए अत्याचारों के कारण निर्वासित होकर भारत में आए पीडित हिन्दुओं को न्याय मिलेगा । अब उन्हें भारत का नागरिकत्व प्राप्त होने में आनेवाली बाधा दूर होगी ।

सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय देशभर के कुछ धर्मांधों और कम्युनिस्ट संगठन और देशविघातक गतिविधियां करनेवालों को अप्रिय लगा । इसलिए उन्होंने देहली, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में हिंसक आंदोलन आरंभ किए । इसमें सार्वजनिक मालमत्ता को भारी क्षति पहुंची है । इतना ही नहीं, वे पुलिसकर्मियों पर भी आक्रमण कर रहे हैं । इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और अतिदक्षता विभाग में उनका उपचार चल रहा है । समाजद्रोही आंदोलकों द्वारा किया जा रहा हिंसक आंदोलन और उससे हो रही हानि निषेधार्ह है ।

*** तब भी इस संदर्भ में हम कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहते हैं ...**

१. देहली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से ३ दिन आंदोलन के चलते १५ दिसंबर को उन्होंने हिंसाचार किया । इसमें उन्होंने कुछ बसें और पुलिस के वाहन जलाए । विश्वविद्यालय के परिसर से पुलिस पर पथराव भी किया गया । इस हिंसाचार में ६ पुलिस, २ अग्निशमन दल के कर्मचारी और अन्य कुल मिलाकर लगभग १०० जन घायल हो गए ।

२. लखनऊ में नदवा महाविद्यालय में १६ दिसंबर को इस कानून के विरोध में समाजकंटक विद्यार्थियों ने पुलिस पर पथराव किया, पानी की खाली बोतलें और चप्पलें फेंकी ।

३. आम आदमी पक्ष के देहली के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस कानून के विरोध में भडकाऊ भाषण दिए ।

४. इस कानून के विरोध में कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की । उस पर सरन्यायाधीश शरद बोबडे ने हिंसाचार करनेवालों को जो सुनाया वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । सरन्यायाधीश बोले, 'यह कानून और सुव्यवस्था का प्रश्न है । सार्वजनिक संपत्ति की कोई हानि नहीं कर सकता आंदोलन के लिए विद्यार्थी कानून को अपने हाथ नहीं ले सकते । हम शांति से विरोध करनेवालों के विरोध में नहीं । आप विद्यार्थी हो; इसलिए आपको हिंसाचार करने का अधिकार नहीं मिल जाता । हम आपकी अवश्य सुनेंगे, परंतु पहले हिंसाचार बंद करो । यदि हिंसाचार नहीं रुका और सरकारी संपत्ति की हानि होती रही, तो सुनवाई नहीं हो पाएगी ।

इस पार्श्वभूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की एक प्रचारसभा में कहा कि देश में जहां कहीं भी हिंसाचार हो रहा है, वह राजकीय और पूर्वनियोजित है । हिंसाचार कौन कर रहा है ?, वह कपडों से ही ध्यान में आ रहा है । इसी से हिंसाचार कौन कर रहा है ? और कौन देश की अखंडता भेदने का प्रयत्न कर रहा है, यह स्पष्ट होता है ।

६. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ में हुए आंदोलन के समय आंदोलक समाजकंटक नारेबाजी कर रहे थे 'हिन्दुत्व की कब्र खुदेगी; एएमयू की धरती पर', 'सावरकर की क्रब खुदेगी; एएमयू की धरती पर', 'बीजेपी की कब्र खुदेगी; एएमयू की धरती पर' इत्यादि । इससे इन विद्यार्थियों को नागरिकता के कानून से कुछ लेना-देना नहीं है और उनका हिन्दुत्व और वीर सावरकर के प्रति द्वेष दिखाई देता है । इससे इन आंदोलकों का खरा चेहरा सामने आया है ।

जो समाजकंटक इस कानून के विरोध में हिंसाचार कर रहे हैं, वे संविधानद्रोही और लोकतंत्र विरोधी हैं । ऐसों पर सरकार को कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता है । इससे एक बात स्पष्ट होती है कि समाजकंटकों द्वारा किया गया हिंसाचार सुनियोजित था । इसके पीछे देशविरोधी आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है ।

इसलिए हमारी मांगें हैं .....

१. विश्वविद्यालय के परिसर में इतनी भारी मात्रा में पथराव के लिए पत्थर और आगजनी के लिए लगनेवाला इंधन कहां से आया ?, इस षड्यंत्र के पीछे कौन है ?, इसकी सखोल पूछताछ कर दोषी पाए जानेवालों पर तुरंत कठोर कार्यवाही की जाए ।

२. इस हिंसाचार के पीछे सिमी अथवा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे जिहादी आतंकवादी संगठन का हाथ तो नहीं ?, इसकी जांच की जाए ।

३. जिन समाजकंटकों ने पुलिस पर पथराव किया, आगजनी की, कानून हाथ में लेकर सार्वजनिक संपत्ति की हानि की, उन पर तुरंत ही कठोर कार्यवाही कर दंड दिया जाए ।

४. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ, देहली विश्वविद्यालय जैसे विद्यापीठों के जिन विद्यार्थियों ने इस हिंसाचार में सहभाग लिया, उन्हें तुरंत विद्यापीठ से निकाल दिया जाए ।

५. विद्यापीठ के विद्यार्थियों को विद्यापीठ में किसी भी प्रकार के राजकीय, धार्मिक और शासनविरोधी विषयों पर आंदोलन करने पर बंदी लगाई जाए । तब भी यदि ऐसा होता रहे तो इन विद्यापीठों पर भी बंदी लगाई जाए ।

६. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ में हिन्दुत्व के विरोध में विषैली नारेबाजी कर समाज में धार्मिक तनाव निर्माण करनेवाले समाजकंटकों पर कठोर कार्यवाही की जाए ।

आपका विश्वसनीय,

संपर्क :